

फार्म - सात (छ)

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
[30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-32(1) देखें]
सरकारी विभागों के लिए पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का
पासपोर्ट साईज
का फोटो

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी,

रसीद संख्या

तिथि

महोदय,

मैं-----पुत्र/पुत्री/पत्नी-----प्रास्थिति-----, यूपीवैट

अध्यादेश, 2007 की धारा-17 के अंतर्गत पंजीयन एवं टिन के आवंटन हेतु आवेदन करता/करती हूँ। इस हेतु व्यापार से संबंधित विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत करता/करती हूँ :-

1.	सरकारी विभाग का नाम व पता											
2.	आवेदक का नाम, पदनाम व पता											
3.	आहरण वितरण अधिकारी का नाम, पदनाम व पता	पि न -										
4.	प्रांत भीतर व प्रांत बाहर सरकारी विभाग का मूल स्थान पूर्ण पते सहित	पि न -										
5.	फोन नंबर (एस0टी0डी0कोड सहित) यदि कोई हो											
6.	आवेदक की प्रास्थिति का कोड	(निर्देशों के क्रमांक-6 को देखें)										
7.	ई-मेल आई डी, यदि कोई हो											
8.	फैक्स नंबर, यदि कोई हो											
9.	व्यापार प्रारंभ होने का दिनांक											
10.	खरीद व बिक्री का अनुमानित टर्नओवर											
11.	व्यापार की प्रकृति (कृपया संबंधित खाने / खानों में टिक करें)											
	थोक <input type="checkbox"/>	खुदरा <input type="checkbox"/>	निर्माता / प्रोसेसर <input type="checkbox"/>	आयातक <input type="checkbox"/>								
	कमीशन एजेंट <input type="checkbox"/>	कार्य सविदा <input type="checkbox"/>	वस्तु के प्रयोग के अधिकार का अन्तरण <input type="checkbox"/>	हायर परचेज <input type="checkbox"/>								
	अन्य कोई <input type="checkbox"/>											
12.	वस्तु के समूह का कमोडिटी कोड											
	1-					2-						
	3-					4-						
	5-					6-						
	7-					8-						
	9-					10						
13.	बैंक खातों का विवरण											
	क्र(सं0)	ब्रांच का नाम व पता				खाते का प्रकार				खाता संख्या		
14.	लेखा शीर्षक का विवरण											
15.	प्रथम खरीद का दिनांक											
16.	प्रथम बिक्री का दिनांक											

17.	पंजीयन फीस व विलंब फीस का विवरण					
	क्र०सं०	विवरण	धनराशि	ट्रेजरी चालान नंबर	तिथि	बैंक की ब्रांच का नाम
	1.	विलंब फीस				
2.	पंजीयन फीस					

घोषणा

मैं -----पुत्र/पुत्री/पत्नी-----प्रास्थिति-----,
घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य है। उपरोक्त विवरण में कोई भी परिवर्तन होने पर मैं पंजीकरण प्राधिकारी/करनिर्धारण अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग को अविलंब सूचित करने का आश्वासन देता/देती हूँ।

दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर-

स्थान -

प्रास्थिति -

पंजीयन प्रार्थना पत्र को भरने हेतु निर्देश

1. प्रार्थना पत्र को बड़े अक्षरों में ही भरा जाए।
2. यूपीवैट अध्यादेश 2007 की धारा-17 व 18 तथा 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32, 33, 34, 35, 36 एवं 37 को भली भांति पढ़ें।
3. पंजीकरण शुल्क / विलम्ब शुल्क जमा के चालान की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाए।
4. गलत घोषणा एवं गलत सूचना देने पर कतिपय शास्तियां निर्धारित हैं। अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र में सही सूचनाएं ही भरें तथा यूपीवैट अध्यादेश 2007 की धारा-54 में अंकित दण्ड संबंधी उपबंधों का अध्ययन कर लें।
5. अधिक जमा इनपुट टैक्स अथवा अन्य किसी देय की वापसी जिले में स्थित कोषागार द्वारा खाते में देय चेक द्वारा ही जमा की जाएगी अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र में बैंक अथवा शाखा में खाता संख्या सही एवं स्पष्ट रूप में लिखें।
6. नियम-32(6) में वर्णित अधिकृत व्यक्ति ही आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, जो कि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित है तथा कॉलम-3 में उनकी प्रास्थिति कोड अंकित है। कृपया आवेदन पत्र के क्रमांक-5 में आवेदक अपनी प्रास्थिति से संबंधित कोड ही लिखें।

क्र०सं०	विवरण	प्रास्थिति कोड	
1	2	3	
(i)	एकल स्वामित्व व्यापार की स्थिति में व्यापार के स्वामी द्वारा, या	0	1
(ii)	किसी साझेदार द्वारा, जो अन्य सभी साझेदारों द्वारा अधिकृत किया गया हो, या	0	2
(iii)	हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में कर्ता द्वारा, या	0	3
(iv)	लिमिटेड कंपनी होने की दशा में मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा डायरेक्टर अथवा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा, या	0	4
(v)	सोसाइटी या क्लब की स्थिति में अध्यक्ष या सचिव द्वारा, या	0	5
(vi)	केन्द्र अथवा राज्य सरकार का विभाग होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, या	0	6
(vii)	अवयस्क के व्यापार स्वामी होने की स्थिति में उसके संरक्षक द्वारा, या	0	7
(viii)	अक्षम व्यक्ति के व्यापार स्वामी होने की स्थिति में सामान्य प्राधिकार पत्र धारक व्यक्ति द्वारा, या	0	8
(ix)	ट्रस्ट की स्थिति में, ट्रस्टी द्वारा	0	9
(x)	अन्य	1	0

7. आवेदक पर करदायित्व आरम्भ होने की तिथि से 30 दिन के अंदर आवेदन पत्र पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रत्येक माह अथवा माह के भाग के लिए रूपए 100/- प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
9. इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने हेतु टैक्स इनवाइस प्राथमिक अभिलेख है तथा इसे संलग्नक-ए में अंकित व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। चूंकि इसका प्रभाव व्यापारी को मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट पर होगा अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे इस हेतु व्यापार से संबंधित सही व्यक्ति को ही प्राधिकृत करें।
10. यदि निर्धारित प्रारूप-ए में सूचना नहीं दी जाती है तो आवेदक द्वारा ही टैक्स इनवाइस एवं अन्य अभिलेख को प्रमाणित किया जाएगा।
11. यूपीवैट अध्यादेश, 2007 तथा उसके नियमों के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से ही प्रभावी होगा। अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित प्रस्तुत करें।
12. टैक्स इनवाइस व अन्य अभिलेख पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के अभिप्रमाणित हस्ताक्षर संलग्नक-ए में प्रस्तुत किये जायें।
13. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों की सूची संलग्नक-बी में प्रस्तुत किये जायें।
14. गलत सूचना देने पर आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र में सही व पूर्ण सूचनाएं ही दें।
15. यदि आवेदक 30प्र0व्यापार कर अधिनियम, केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, यूपीवैट अध्यादेश अथवा 30प्र0 में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अंतर्गत बाकीदार पाया जाता है तो उसका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।
16. क्रमांक-12 पर केवल वही कमोडिटी कोड भरे जाएंगे जो कमिश्नर द्वारा निर्धारित होंगे।
17. इस आवेदन पत्र में हस्ताक्षर अनुप्रमाणन का तात्पर्य यथा संशोधनों सहित वही होगा जैसा कि ट्रान्सफर ऑफ प्रौपर्टी अधिनियम की धारा-3 में वर्णित है।

संलग्नक - ए

टैक्स इनवाइस तथा अन्य अभिलेख के अभिप्रमाणन हेतु प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण

क्र०सं०	व्यक्ति का नाम	स्थायी पता	विभाग में व्यक्ति की प्रास्थिति, जैसी स्थिति हो	स्तंभ-2 में अंकित व्यक्ति की फोटो	स्तंभ-2 में अंकित व्यक्ति के हस्ताक्षर	आवेदक द्वारा अभिप्रमाणन
1	2	3	4	5	6	7

आवेदक के हस्ताक्षर
प्रास्थिति एवं तिथि

संलग्नक - बी

क्र०सं०	अभिलेखों के नाम - अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां दी जाएं; [जहां लागू हो वहां सही का निशान {✓} लगाएं]	
1.	आवेदक का पहचान का प्रमाण, - विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाणित फोटो पहचान पत्र की कॉपी	
2.	कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यालय के पते के संबंध में जारी प्रमाण पत्र	
3.	अन्य अधिनियम के अंतर्गत निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, यदि लागू हो	
	a. दुकान अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम	
	b. मण्डी अधिनियम	
	c. रजिस्ट्रार ऑफ फार्म एवं सोसाइटी अधिनियम	
	d. सर्विस टैक्स अधिनियम	
	e. उद्योग विभाग अधिनियम	
	f. केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम	
	g. औषधि एवं श्रंगार प्रसाधन अधिनियम	
	h. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अधिनियम	
	i. खादी एवं ग्रामोद्योग केन्द्र अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीयन	
	j. ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के अंतर्गत निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र	
	k. कोई अन्य अधिनियम	
4.	संलग्नक - ए	
5.	संलग्नक - बी	
6.	पंजीयन / विलंब शुल्क फीस के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति	

आवेदक के हस्ताक्षर
प्रास्थिति एवं तिथि

जांचकर्ता -

पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पंजीकरण प्राधिकारी का नाम / मुहर